न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं0 418/19,कम्पयूटर निबंधन सं0 1531/19

18.01.20 आवेदक **1. मोनी पासवान उर्फ मोहन पासवान,** जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 418/19, धारा–272, 273/34 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 10.1.20 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेंश्वर प्रसाद सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस झुठे वाद में फॅसा दिया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। आरोपित धाराऐं उसके विरूद्व नही बनती है। वह दि0 10.1.20 को स्वयं आत्मसमर्पण किया है तथा उस दिन से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–272, 273/34 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से 375 एम0एल0 का 11 बोतल एवं मोटरसाईकल की हैण्डल में टंगे झोला से 180एम0एल0 का 18 बोतल तथा झोपड़ीनुमा कमरा के बगल में एक अन्य झोपड़ी से 750एम0एल0 का 6 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद